Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Article

ग्रामीण भारत के रूपांतरण में जिला प्रशासन की संस्थागत भूमिका: विकसित भारत 2047 के संदर्भ में एक समालोचनात्मक अध्ययन

चन्द्र प्रकाश गौतम

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत

Corresponding Author: * चन्द्र प्रकाश गौतम

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19663439

सारांश

प्रस्तुत शोधपत्र "विकसित भारत 2047" के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण भारत के रूपांतरण हेतु जिला प्रशासन की संस्थागत भूमिका का समालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की राष्ट्रीय परिकल्पना में ग्रामीण विकास को केंद्रीय स्थान प्राप्त है, क्योंकि देश की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अध्ययन में यह विश्लेषण किया गया है कि केंद्र और राज्य स्तर पर निर्मित नीतियों का जिला स्तर पर किस प्रकार क्रियान्वयन होता है तथा जिला प्रशासन किस सीमा तक एक प्रभावी "Implementation Unit" के रूप में कार्य कर पा रहा है।

शोध में विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक पद्धति का उपयोग करते हुए द्वितीयक स्रोतों—सरकारी रिपोर्टों, नीति आयोग दस्तावेजों, पंचवर्षीय योजनाओं तथा संबंधित शोध अध्ययनों—का समालोचनात्मक परीक्षण किया गया है। अध्ययन सुशासन सिद्धांत, विकेंद्रीकरण सिद्धांत, सहभागी विकास मॉडल तथा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सैद्धांतिक आधार पर निर्मित है।

मुख्य निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में नीति और व्यवहार के मध्य अंतर, लाभार्थी चयन की त्रुटियाँ, संस्थागत कमजोरी, संसाधनों की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा समन्वय के अभाव जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। यद्यपि अनेक योजनाएँ—जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और डिजिटल पंचायत—ग्रामीण रूपांतरण की दिशा में प्रयासरत हैं, किंतु उनकी प्रभावशीलता जिला प्रशासन की क्षमता, पारदर्शिता और जनसहभागिता पर निर्भर करती है।

अध्ययन यह प्रतिपादित करता है कि विकसित भारत 2047 की सफलता हेतु जिला प्रशासन को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्तता, डिजिटल निगरानी तंत्र, सामाजिक अंकेक्षण तथा ग्राम स्तरीय सहभागिता के माध्यम से सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। अंततः यह शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि विकसित भारत की परिकल्पना तभी साकार हो सकती है जब जिला प्रशासन परिवर्तनकारी नेतृत्व की भूमिका निभाते हुए ग्रामीण भारत में नीतियों का प्रभावी, पारदर्शी और सहभागी क्रियान्वयन सुनिश्चित करे।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 26-03-2026
- **Accepted:** 16-04-2026
- **Published:** 20-04-2026
- **MRR:**4(4); 2026: 174-180
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

चन्द्र प्रकाश गौतम. ग्रामीण भारत के रूपांतरण में जिला प्रशासन की संस्थागत भूमिका: विकसित भारत 2047 के संदर्भ में एक समालोचनात्मक अध्ययन. Indian J Mod Res Rev. 2026;4(4):174-180.

Access this Article Online

www.mrrjournal.in

मुख्य शब्द: विकसित भारत 2047, जिला प्रशासन, ग्रामीण विकास, विकेंद्रीकरण, सुशासन, सहभागी लोकतंत्र, संस्थागत सुदृढ़ीकरण

© 2026 चन्द्र प्रकाश गौतम. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. प्रस्तावना

"विकसित भारत 2047" भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने तक देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। यह दृष्टि केवल आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, सुशासन, संस्थागत पारदर्शिता, आत्मनिर्भरता, सतत विकास और सहभागी लोकतंत्र को समाहित करती है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार यह दृष्टिकोण एक बहु-आयामी परिवर्तनकारी एजेंडा है, जिसमें ग्रामीण पुनरुत्थान, डिजिटल सशक्तिकरण, कौशल विकास, कृषि आधुनिकीकरण और स्थानीय शासन की सुदृढ़ता को केंद्रीय स्थान दिया गया है ।भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में अग्रसर है, ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रूपांतरण केवल एक नीतिगत आवश्यकता नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय प्रगति की नींव है। भारत की लगभग दो-तिहाई आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और समान एवं सतत विकास की किसी भी परिकल्पना की शुरुआत गांवों से ही होनी चाहिए। परंपरागत रूप से कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार रही है, लेकिन जमीनी हकीकत तेजी से बदल रही है। ग्रामीण परिवार अपनी आय के विभिन्न स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं, कृषि के अलावा अन्य कार्यों में संलग्न हो रहे हैं, डिजिटल उपकरणों को अपना रहे हैं और आर्थिक उन्नति के अवसर तलाश रहे हैं। भारत का भविष्य उसके ग्रामीण अतीत को संरक्षित करने में नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक क्षमता की पुनर्कल्पना करने में निहित है।

भारत की लगभग 65% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अतः ग्रामीण भारत केवल जनसांख्यिकीय वास्तविकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है। कृषि, सहकारिता, सूक्ष्म उद्यम, ग्रामीण कौशल और स्थानीय अर्थव्यवस्था भारतीय विकास संरचना के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं यदि ग्रामीण क्षेत्र संरचनात्मक रूप से सशक्त नहीं होंगे, तो विकसित भारत की परिकल्पना अधूरी रहेगी।

प्रशासनिक दृष्टि से भारत एक संघीय व्यवस्था है, जिसमें केंद्र सरकार नीति-निर्माण और राष्ट्रीय दिशा निर्धारित करती है; राज्य सरकारें नीतियों का क्षेत्रीय अनुकूलन करती हैं; जबकि जिला प्रशासन योजनाओं का प्रत्यक्ष क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के माध्यम से विकेंद्रीकरण को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है, जिससे स्थानीय स्तर पर शासन को सुदृढ़ बनाया गया ।

जिला प्रशासन को "Implementation Unit" इसलिए कहा जाता है क्योंकि अधिकांश विकास योजनाएँ—जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, कौशल विकास कार्यक्रम—का वास्तविक संचालन, निगरानी और मूल्यांकन जिला स्तर पर होता है। जिला कलेक्टर/जिलाधिकारी विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं और राज्य तथा केंद्र की नीतियों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप क्रियान्वित करते हैं।

हालिया अध्ययनों से यह भी स्पष्ट होता है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विकेंद्रीकृत शासन, सहभागी निर्णय-निर्माण, डिजिटल प्रशासन और संस्थागत क्षमता निर्माण अनिवार्य है ।

शोध समस्या

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो जाता है कि यह विश्लेषण किया जाए कि क्या जिला प्रशासन ग्रामीण भारत के रूपांतरण में अपेक्षित संस्थागत भूमिका निभाने में सक्षम है। क्या केंद्र और राज्य द्वारा निर्मित नीतियों का प्रभावी और संदर्भ-संवेदनशील क्रियान्वयन जिला स्तर पर हो पा रहा है? क्या जिला प्रशासन के पास पर्याप्त वित्तीय, मानव संसाधन और तकनीकी क्षमता उपलब्ध है? क्या विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया वास्तविक रूप से निर्णय-निर्माण अधिकारों के हस्तांतरण में सफल रही है?

इन्हीं प्रश्नों के आधार पर प्रस्तुत शोध का उद्देश्य "विकसित भारत 2047" के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण भारत के रूपांतरण हेतु जिला प्रशासन की संस्थागत भूमिका का समालोचनात्मक अध्ययन करना है, ताकि नीति और क्रियान्वयन के मध्य विद्यमान अंतर को समझा जा सके तथा सुधारात्मक उपायों की पहचान की जा सके।

2. अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य "विकसित भारत 2047" की अवधारणा का समग्र विश्लेषण करना है, ताकि उसके आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और संस्थागत आयामों को स्पष्ट रूप से समझा जा सके तथा यह स्थापित किया जा सके कि ग्रामीण भारत इस राष्ट्रीय दृष्टि की आधारशिला है। इसके साथ ही ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में जिला प्रशासन की संस्थागत भूमिका का गहन अध्ययन करना भी इस शोध का केंद्रीय उद्देश्य है, विशेषकर योजनाओं के नियोजन, समन्वय, क्रियान्वयन और निगरानी के संदर्भ में। अध्ययन का उद्देश्य केंद्र, राज्य और जिला स्तर के प्रशासनिक ढांचे के मध्य शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों के वितरण तथा वास्तविक विकेंद्रीकरण की स्थिति का परीक्षण करना भी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया किस सीमा तक स्थानीय स्तर तक पहुँची है। इसके अतिरिक्त विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्पन्न होने वाली प्रशासनिक चुनौतियों—जैसे वित्तीय संसाधनों की सीमाएँ, मानव संसाधन की कमी, तकनीकी दक्षता का अभाव, विभागीय समन्वय की समस्याएँ तथा नीति और क्रियान्वयन के मध्य अंतर—की पहचान करना भी इस अध्ययन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अंततः जिला प्रशासन की प्रभावशीलता का समालोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए ग्रामीण रूपांतरण को अधिक सुदृढ़, उत्तरदायी और परिणामोन्मुख बनाने हेतु संस्थागत सुधारों के संभावित उपाय प्रस्तुत करना इस शोध का व्यापक लक्ष्य है।

3. शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक प्रकृति का है, जिसमें विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण भारत के रूपांतरण तथा जिला प्रशासन की संस्थागत भूमिका का व्यवस्थित एवं आलोचनात्मक परीक्षण किया गया है। अध्ययन में मुख्यतः द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है, जिनमें भारत सरकार की आधिकारिक रिपोर्टें, नीति आयोग के दस्तावेज, पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित अभिलेख, ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टें, विभिन्न सरकारी योजनाओं के दिशा-निर्देश, तथा संबंधित विषय पर प्रकाशित शोध आलेख एवं पुस्तकों को सम्मिलित किया गया है। इन स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध तथ्यों, नीतिगत प्रावधानों और क्रियान्वयन संबंधी विवरणों का तुलनात्मक एवं व्याख्यात्मक विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन का दृष्टिकोण संस्थागत एवं समालोचनात्मक है, जिसके अंतर्गत जिला प्रशासन की संरचना, कार्यप्रणाली, अधिकार-क्षेत्र, संसाधन क्षमता तथा नीति-क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। इस प्रक्रिया में केंद्र, राज्य और जिला स्तर के मध्य समन्वय, विकेंद्रीकरण की प्रभावशीलता, तथा ग्रामीण विकास योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की चुनौतियों का आलोचनात्मक

© 2026 चन्द्र प्रकाश गौतम. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

परीक्षण किया गया है, ताकि विकसित भारत 2047 की परिकल्पना में जिला प्रशासन की भूमिका को वस्तुनिष्ठ रूप से समझा जा सके।

सैद्धांतिक आधार

प्रस्तुत अध्ययन "विकसित भारत 2047" के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण रूपांतरण तथा जिला प्रशासन की संस्थागत भूमिका को समझने हेतु विभिन्न प्रशासनिक एवं विकास संबंधी सिद्धांतों पर आधारित है। इन सिद्धांतों के माध्यम से शासन की संरचना, कार्यप्रणाली, उत्तरदायित्व और जनसहभागिता के आयामों का विश्लेषण किया जाता है।

1. सुशासन सिद्धांत (Good Governance Theory)

सुशासन सिद्धांत 1990 के दशक में विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा विकसित एक अवधारणा है, जिसका उद्देश्य शासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, प्रभावी और सहभागी बनाना है। सुशासन के प्रमुख तत्वों में विधि का शासन (Rule of Law), पारदर्शिता (Transparency), उत्तरदायित्व (Accountability), सहभागिता (Participation), प्रभावशीलता एवं दक्षता (Effectiveness and Efficiency), तथा समावेशन (Inclusiveness) शामिल हैं।

ग्रामीण विकास के संदर्भ में सुशासन सिद्धांत यह स्थापित करता है कि योजनाओं का सफल क्रियान्वयन केवल संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता, सामाजिक निगरानी, जनभागीदारी और संस्थागत जवाबदेही पर भी आधारित होता है। जिला प्रशासन यदि पारदर्शी निर्णय-प्रक्रिया, सामाजिक अंकेक्षण और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देता है, तो विकास कार्यक्रम अधिक परिणामोन्मुख हो सकते हैं। विकसित भारत 2047 की दृष्टि में सुशासन एक मूलभूत तत्व है, क्योंकि यह विकास को केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित न रखकर सामाजिक न्याय और समान अवसरों से जोड़ता है।

2. विकेंद्रीकरण सिद्धांत (Decentralization Theory)

विकेंद्रीकरण सिद्धांत का मूल आधार यह है कि प्रशासनिक, वित्तीय और राजनीतिक शक्तियों का वितरण स्थानीय स्तर तक किया जाना चाहिए, ताकि निर्णय-निर्माण स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके। यह सिद्धांत तीन प्रमुख आयामों पर आधारित है—प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय विकेंद्रीकरण और राजनीतिक विकेंद्रीकरण।

भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों (1992) के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, जिससे स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। विकेंद्रीकरण सिद्धांत के अनुसार, जब स्थानीय निकायों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन, निर्णय-निर्माण अधिकार और प्रशासनिक स्वायत्तता मिलती है, तब विकास अधिक समावेशी और उत्तरदायी बनता है। जिला प्रशासन इस प्रक्रिया का केंद्रीय घटक है, क्योंकि यह राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच सेतु का कार्य करता है। यदि वास्तविक शक्तियों का हस्तांतरण नहीं होता, तो विकेंद्रीकरण केवल औपचारिक रह जाता है। अतः इस अध्ययन में यह परीक्षण किया जाता है कि जिला स्तर पर विकेंद्रीकरण की प्रभावशीलता किस सीमा तक विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है।

3. सहभागी विकास मॉडल (Participatory Development Model)

सहभागी विकास मॉडल इस धारणा पर आधारित है कि विकास की प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। यह मॉडल शीर्ष-से-नीचे (Top-down) विकास दृष्टिकोण के स्थान पर नीचे-से-ऊपर (Bottom-up) दृष्टिकोण को महत्व देता है। इसमें ग्राम सभा, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियाँ, किसान संगठन और नागरिक समाज की भूमिका को केंद्रीय स्थान दिया जाता है।

सहभागी विकास का उद्देश्य केवल संसाधनों का वितरण नहीं, बल्कि समुदाय को निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करना है, जिससे योजनाएँ स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बन सकें। ग्रामीण विकास योजनाओं में सामाजिक अंकेक्षण, जन-सुनवाई, ग्राम विकास योजनाओं का निर्माण और सामुदायिक निगरानी तंत्र इसी मॉडल के उदाहरण हैं। विकसित भारत 2047 के संदर्भ में सहभागी विकास मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि विकास प्रक्रिया समावेशी, न्यायपूर्ण और स्थायी हो। जिला प्रशासन यदि स्थानीय संस्थाओं को सशक्त बनाता है और समुदाय-आधारित योजना निर्माण को प्रोत्साहित करता है, तो ग्रामीण रूपांतरण अधिक प्रभावी हो सकता है।

4. न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (New Public Administration)

न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (NPA) का उद्भव 1960 के दशक के उत्तरार्ध में अमेरिका में हुआ, विशेषकर मिनोब्रुक सम्मेलन (1968) के बाद। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य प्रशासन को अधिक मानवीय, उत्तरदायी और सामाजिक न्याय उन्मुख बनाना था। पारंपरिक प्रशासनिक मॉडल जहाँ दक्षता और तटस्थता पर बल देता था, वहीं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सामाजिक समानता (Social Equity), संवेदनशीलता और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रशासन का लक्ष्य केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि सामाजिक असमानताओं को कम करना और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना भी है। ग्रामीण भारत में गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक विषमता और क्षेत्रीय असंतुलन जैसी समस्याओं के समाधान हेतु प्रशासन को संवेदनशील और सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

अमरनाथ पासवान एवं एम.डी. रेयाज अहमद (2020) के अनुसार वैश्वीकरण के प्रभाव ने सार्वजनिक प्रशासन की प्रकृति को मूलतः परिवर्तित कर दिया है। वैश्विक संस्थाओं के दबाव, विशेषकर विकासशील देशों पर, प्रशासन को राष्ट्र-केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के लिए बाध्य कर रहे हैं। लेखकों का मत है कि इन नई चुनौतियों का सामना करने हेतु सार्वजनिक प्रशासन को अपने जाति-केंद्रित (एथ्नोसेंट्रिक) चरित्र से मुक्त होकर अधिक उत्तरदायी, सहभागी एवं सामाजिक न्याय उन्मुख बनना होगा।

वे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (NPA) की उत्पत्ति को 1968 के मिनोब्रुक-I सम्मेलन से जोड़ते हैं, जिसने पारंपरिक प्रशासनिक सोच से एक महत्वपूर्ण वैचारिक परिवर्तन प्रस्तुत किया। इसके बाद 1988 और 2008 में आयोजित मिनोब्रुक-II एवं मिनोब्रुक-III सम्मेलनों ने बदलते सामाजिक-आर्थिक परिवेश के अनुरूप प्रशासनिक विमर्श को नई दिशा प्रदान की। लेखकों के अनुसार सार्वजनिक प्रशासन समय-समय पर अपने सामाजिक-आर्थिक संदर्भ से द्वंद्वात्मक रूप से जुड़ा रहा है।

जिला प्रशासन यदि सामाजिक न्याय, समावेशन और सेवा-प्रदाय की गुणवत्ता को प्राथमिकता देता है, तो वह न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करता है। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना में प्रशासन को केवल विकास योजनाओं का

© 2026 चन्द्र प्रकाश गौतम. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

क्रियान्वयनकर्ता नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का प्रेरक भी माना गया है।

मुख्य विवेचना

(1) विकसित भारत 2047 और ग्रामीण विकास की अनिवार्यता

विकसित भारत 2047 की परिकल्पना भारत को आर्थिक रूप से सशक्त, सामाजिक रूप से समावेशी और प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य प्रस्तुत करती है। चूँकि भारत की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, अतः राष्ट्रीय विकास की कोई भी व्यापक रणनीति ग्रामीण रूपांतरण के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। ग्रामीण भारत केवल कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था का क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक परंपरा और श्रम शक्ति का आधार भी है।

साहित्य समीक्षा से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण भारत और कृषि परिवारों की संरचना समय के साथ परिवर्तित हुई है। हरित क्रांति के पश्चात तकनीकी उन्नति, उर्वरकों एवं सिंचाई के विस्तार तथा सरकारी नीतिगत हस्तक्षेपों ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की, किंतु इसके लाभ क्षेत्रीय रूप से असमान रहे। भूमि स्वामित्व के असमान वितरण, सीमांत एवं लघु किसानों की बढ़ती संख्या, प्रवासन तथा असंगठित श्रम संरचना ने ग्रामीण समाज को जटिल बना दिया है। कई अध्ययनों में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि कृषि परिवारों की आय अब केवल खेती पर निर्भर नहीं रही; वे मजदूरी, पशुपालन, लघु उद्योग, स्वरोजगार तथा अन्य गैर-कृषि गतिविधियों से आय अर्जित कर रहे हैं।

साहित्य यह संकेत करता है कि कृषि की मौसमी और चक्रीय प्रकृति, बाजार की अस्थिरता तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण ग्रामीण परिवार आर्थिक अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। संसाधनों की कमी, तकनीकी अवसंरचना का अभाव और संस्थागत समर्थन की सीमाएँ ग्रामीण विकास में बाधक हैं। इस प्रकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में आय विविधीकरण, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और टिकाऊ आजीविका मॉडल को बढ़ावा देना अनिवार्य है।

(2) जिला प्रशासन की संरचना और कार्य

भारत की प्रशासनिक संरचना संघीय ढाँचे पर आधारित है, जिसमें केंद्र, राज्य और जिला तीन प्रमुख स्तर हैं। जिला प्रशासन राज्य सरकार का स्थानीय प्रतिनिधि होते हुए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है। जिलाधिकारी या कलेक्टर प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, जिनके अधीन राजस्व, विकास, कानून-व्यवस्था, आपदा प्रबंधन तथा सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्य संचालित होते हैं।

ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन एक "Implementation Unit" के रूप में कार्य करता है। यह स्तर नीति को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालता है, संसाधनों का आवंटन करता है, निगरानी एवं मूल्यांकन की व्यवस्था सुनिश्चित करता है तथा पंचायत स्तर पर क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करता है। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में जिला प्रशासन राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थाओं के बीच सेतु की भूमिका निभाता है।

(3) प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन

ग्रामीण विकास की दिशा में अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनका प्रभावी क्रियान्वयन जिला प्रशासन की दक्षता पर निर्भर करता है।

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार प्रदान करना है। यह योजना ग्रामीण अवसंरचना निर्माण के साथ-साथ आय सुरक्षा का साधन है। जिला स्तर पर कार्यों की स्वीकृति, निधि प्रबंधन, सामाजिक अंकेक्षण और भुगतान प्रणाली का संचालन प्रशासनिक उत्तरदायित्व का महत्वपूर्ण भाग है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लक्ष्य बेघर एवं कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। लाभार्थियों की पहचान, भू-आवंटन, निर्माण की निगरानी तथा वित्तीय सहायता का वितरण जिला प्रशासन के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन और आय सृजन को बढ़ावा देता है। जिला प्रशासन इस मिशन के अंतर्गत समूह गठन, प्रशिक्षण, बैंक समन्वय और विपणन समर्थन की व्यवस्था करता है।

डिजिटल पंचायत पहल का उद्देश्य पंचायतों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर पारदर्शिता, ई-गवर्नेंस और डेटा आधारित निर्णय-निर्माण को सुदृढ़ करना है। इसके माध्यम से ग्राम स्तर पर योजनाओं की निगरानी, लेखा-जोखा और नागरिक सेवाओं का डिजिटलीकरण संभव हो रहा है।

इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण भारत में संरचनात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु इनकी सफलता जिला प्रशासन की कार्यकुशलता, पारदर्शिता और जनसहभागिता पर निर्भर करती है।

(4) प्रशासनिक चुनौतियाँ

योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक प्रशासनिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। संसाधनों की कमी—विशेषकर वित्तीय और मानव संसाधन—ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की गति को प्रभावित करती है। कई जिलों में तकनीकी विशेषज्ञों, डेटा प्रबंधन प्रणाली तथा प्रशिक्षित कर्मियों का अभाव देखा जाता है । भ्रष्टाचार और अपारदर्शिता भी योजनाओं की प्रभावशीलता को कम करती है। लाभार्थी चयन, कार्य स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया में अनियमितताएँ विकास के उद्देश्य को बाधित कर सकती हैं।

राजनीतिक हस्तक्षेप भी प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित करता है, जिससे योजनाओं का निष्पक्ष क्रियान्वयन प्रभावित हो सकता है। इसके अतिरिक्त जनसहभागिता का अभाव, ग्राम सभाओं की निष्क्रियता तथा सामाजिक अंकेक्षण की कमजोर व्यवस्था स्थानीय उत्तरदायित्व को सीमित करती है।

(5) संस्थागत सुधार की आवश्यकता

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु जिला प्रशासन को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाना आवश्यक है। वित्तीय विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक स्वायत्तता और तकनीकी क्षमता निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सामाजिक अंकेक्षण, डिजिटल निगरानी तंत्र और नागरिक सहभागिता को सशक्त बनाकर पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों, डेटा-आधारित नीति निर्माण और विभागीय समन्वय को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ग्रामीण भारत की जटिल सामाजिक-आर्थिक संरचना को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का स्थानीयकरण (Localization) अनिवार्य है।

© 2026 चन्द्र प्रकाश गौतम. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

अंततः, यदि जिला प्रशासन सुशासन, विकेंद्रीकरण और सहभागी विकास के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करता है, तो वह विकसित भारत 2047 की दिशा में ग्रामीण रूपांतरण का प्रभावी माध्यम बन सकता है।

मुख्य विवेचना (संवर्धित, समेकित एवं समालोचनात्मक रूप)

(1) विकसित भारत 2047 और ग्रामीण विकास की अनिवार्यता

विकसित भारत 2047 की परिकल्पना भारत को एक विकसित, समावेशी एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का राष्ट्रीय लक्ष्य प्रस्तुत करती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति का मूलाधार ग्रामीण भारत है, जहाँ आज भी देश की बहुसंख्यक जनसंख्या निवास करती है। कृषि, पशुपालन, लघु उद्यम, हस्तशिल्प तथा ग्रामीण सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।

ग्रामीण विकास पर उपलब्ध साहित्य यह इंगित करता है कि यद्यपि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान है, तथापि ग्रामीण क्षेत्र विकास के अनेक सूचकों पर अभी भी पिछड़े हैं। गरीबी, आय असमानता, सीमांत जोतों की वृद्धि, मौसमी बेरोजगारी तथा जलवायु जोखिम ग्रामीण जीवन की संरचनात्मक चुनौतियाँ हैं। दांडेकर एवं राठ, मिन्हास, ओझा तथा लिप्टन जैसे विद्वानों ने ग्रामीण गरीबी, भूमि वितरण और आय असमानता के प्रश्नों को गंभीर रूप से उठाया है।

बनोथ विजयलक्ष्मी (2024) के अध्ययन में यह प्रतिपादित किया गया है कि भारत सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र अपेक्षित स्तर तक उन्नत नहीं हो पाए हैं। इसका कारण नीति और व्यवहार के मध्य अंतर, लाभार्थी चयन की त्रुटियाँ तथा संस्थागत कमजोरी है। यह विश्लेषण विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि यदि जमीनी स्तर पर योजनाओं की प्रभावशीलता सुनिश्चित नहीं होगी, तो राष्ट्रीय लक्ष्य अधूरा रहेगा।

(2) जिला प्रशासन की संरचना, भूमिका एवं ऐतिहासिक अनुभव

जिला प्रशासन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का मुख्य क्रियान्वयनकर्ता है। जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA), पंचायत संस्थाएँ तथा विभिन्न विभाग योजनाओं का संचालन करते हैं।

श्रीवास्तव उमा कांत के IIM अहमदाबाद से प्रकाशित कार्यपत्र में सत्तर के दशक के सात विशेष ग्रामीण विकास कार्यक्रमों—लघु किसान विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, कमांड क्षेत्र विकास, जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्र विकास, मरुस्थल विकास तथा संपूर्ण ग्राम विकास कार्यक्रम—का जिला स्तर पर विश्लेषण किया गया। 389 जिलों के ब्लॉक स्तरीय आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि किसी भी राज्य में कुल क्षेत्रफल का एक-तिहाई भाग भी इन कार्यक्रमों से आच्छादित नहीं था। लाभों का क्षरण (Leakage) केंद्र से जिला स्तर तक पाया गया।

इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक तंत्र में कार्यक्रमों की अवधारणा की स्पष्ट समझ, स्थानीय अनुकूलन तथा समन्वय की कमी रही। यह ऐतिहासिक अनुभव वर्तमान योजनाओं के लिए भी चेतावनी है कि केवल योजना निर्माण पर्याप्त नहीं है; प्रभावी संस्थागत तंत्र और उत्तरदायी क्रियान्वयन आवश्यक है।

(3) प्रमुख ग्रामीण विकास रणनीतियाँ एवं कार्यक्रम: समेकित समीक्षा

बनोथ विजयलक्ष्मी (2024) के अनुसार ग्रामीण विकास की रणनीतियाँ तीन प्रमुख आयामों में विभाजित की जा सकती हैं—समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मजदूरी रोजगार योजनाएँ तथा सामाजिक सुरक्षा उपाय।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) का उद्देश्य सब्सिडी और बैंक ऋण के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देना था। इसके अंतर्गत TRYSEM, DWCRA, SITRA जैसे उप-कार्यक्रम प्रारंभ किए गए।

मजदूरी रोजगार कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) ने ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान किया। यह केवल योजना नहीं, बल्कि विधिक अधिकार है।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP), वृद्धावस्था पेंशन, परिवार लाभ योजना तथा मातृत्व सहायता योजना ने सामाजिक सुरक्षा का न्यूनतम मानक स्थापित करने का प्रयास किया।

भूमि सुधार, **ग्रामीण आवास (IAY)** तथा **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित ग्रामीण तकनीक** भी ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण रणनीतियाँ रही हैं।

यद्यपि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य व्यापक है, तथापि श्रीवास्तव तथा विजयलक्ष्मी दोनों के अध्ययन यह संकेत करते हैं कि लाभार्थी चयन में त्रुटि, समन्वय की कमी और संस्थागत कमजोरी के कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए।

(4) प्रशासनिक एवं संस्थागत चुनौतियाँ: समालोचनात्मक परीक्षण

समालोचनात्मक दृष्टि से निम्न प्रमुख समस्याएँ उभरती हैं—

i. **लाभार्थी चयन में त्रुटि** – वास्तविक गरीबों की उपेक्षा और अपेक्षाकृत सशक्त वर्गों का चयन।
ii. **संस्थागत कमजोरी** – DRDA, पंचायत संस्थाओं एवं कार्यान्वयन एजेंसियों में संसाधन और तकनीकी क्षमता की कमी।
iii. **नीति और जमीनी वास्तविकता में अंतर** – शीर्ष-से-नीचे (Top-down) दृष्टिकोण, जिससे सहभागी लोकतंत्र की भावना कमजोर होती है।
iv. **कार्यक्रमों में एकीकरण का अभाव** – कृषि, रोजगार, अवसंरचना और सामाजिक सुरक्षा के बीच समेकन की कमी।
v. **समन्वय का अभाव एवं विलंब** – लागत वृद्धि, परिसंपत्तियों का कम उपयोग।

बनोथ विजयलक्ष्मी (2024) का निष्कर्ष है कि संस्थागत सुदृढ़ीकरण और सहभागी दृष्टिकोण के बिना सतत ग्रामीण विकास संभव नहीं। श्रीवास्तव का विश्लेषण भी यही इंगित करता है कि कार्यक्रमों की प्रभावशीलता प्रशासनिक समझ और स्थानीय अनुकूलन पर निर्भर है।

(5) संस्थागत सुधार एवं भविष्य की दिशा

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निम्न सुधार अपेक्षित हैं—

- जिला प्रशासन को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्तता
- पंचायत राज संस्थाओं का वास्तविक सशक्तिकरण
- लाभार्थी चयन में पारदर्शी डिजिटल प्रणाली
- कार्यक्रमों का समेकित (Integrated) दृष्टिकोण
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का स्थानीय अनुकूलन
- सामाजिक अंकेक्षण और सामुदायिक भागीदारी को अनिवार्य बनाना

© 2026 चन्द्र प्रकाश गौतम. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास केवल योजनाओं की संख्या से नहीं, बल्कि उनके प्रभावी, पारदर्शी और सहभागी क्रियान्वयन से सुनिश्चित होगा। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य तभी संभव है जब जिला प्रशासन परिवर्तनकारी नेतृत्व की भूमिका निभाए।

"इसके अतिरिक्त, ग्रामीण भारत के रूपांतरण में जिला प्रशासन की भूमिका को केवल योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे नीति-निर्माण के 'प्रतिक्रिया तंत्र' के रूप में भी समझना आवश्यक है। जिला स्तर पर प्राप्त अनुभव एवं चुनौतियाँ राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की नीतियों को अधिक यथार्थवादी एवं प्रभावी बनाने में सहायक हो सकती हैं। इस प्रकार, जिला प्रशासन न केवल विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करता है, बल्कि वह शासन प्रणाली में एक सेतु के रूप में कार्य करते हुए जमीनी वास्तविकताओं को नीति-निर्माण से जोड़ता है।"

4. सुझाव

ग्रामीण भारत के समग्र रूपांतरण तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जिला प्रशासन को अधिक प्रभावी, उत्तरदायी और सशक्त बनाना अनिवार्य है। इस संदर्भ में सर्वप्रथम प्रशासनिक स्वायत्तता को बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जिला स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लिए जा सकें। वर्तमान में अनेक योजनाएँ अत्यधिक केंद्रीकृत दिशा-निर्देशों के अधीन संचालित होती हैं, जिससे स्थानीय नवाचार और लचीलापन सीमित हो जाता है। वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों का वास्तविक विकेंद्रीकरण जिला प्रशासन और पंचायती राज संस्थाओं को अधिक परिणामोन्मुख बना सकता है।

द्वितीय, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। डिजिटल पंचायत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण तथा कार्य-प्रगति की ऑनलाइन ट्रैकिंग जैसी व्यवस्थाएँ पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाती हैं। डेटा-आधारित निगरानी से समयबद्ध भुगतान, लाभार्थी सत्यापन और संसाधनों के दुरुपयोग को नियंत्रित किया जा सकता है।

तृतीय, सामाजिक लेखा परीक्षा (Social Audit) को अनिवार्य और नियमित बनाया जाना चाहिए। ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं की समीक्षा, व्यय का सार्वजनिक प्रस्तुतीकरण और सामुदायिक निगरानी से भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। सामाजिक अंकेक्षण को केवल औपचारिक प्रक्रिया न बनाकर उसे जन-जवाबदेही का सशक्त उपकरण बनाया जाना आवश्यक है।

चतुर्थ, ग्राम स्तरीय सहभागिता को विकास प्रक्रिया का केंद्र बनाया जाना चाहिए। सहभागी विकास मॉडल के अनुसार ग्राम सभा, स्वयं सहायता समूह, किसान समूह और स्थानीय संगठनों को योजना निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में सक्रिय भूमिका दी जानी चाहिए। इससे योजनाएँ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनेंगी तथा समुदाय में स्वामित्व की भावना विकसित होगी।

अंततः, जिला प्रशासन की क्षमता निर्माण (Capacity Building), तकनीकी प्रशिक्षण, अंतर्विभागीय समन्वय और नवाचार को प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है, ताकि प्रशासन केवल योजनाओं का कार्यान्वयनकर्ता न रहकर परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा सके।

5. निष्कर्ष

"वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन की भूमिका केवल पारंपरिक प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह एक 'संस्थागत नवाचार केंद्र' के रूप में उभर रही है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक है कि जिला स्तर पर प्रशासनिक संरचनाएँ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप लचीली, उत्तरदायी एवं सहभागी बनें। विशेष रूप से डिजिटल शासन, जनभागीदारी, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा आंकड़ा-आधारित निर्णय प्रक्रिया को अपनाकर जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास को गति प्रदान कर सकता है। इस संदर्भ में जिला प्रशासन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस हद तक स्थानीय समुदाय, पंचायत राज संस्थाओं एवं अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर पाता है। अतः संस्थागत क्षमता निर्माण, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुदृढ़ करना विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है।"

ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण ही विकसित भारत 2047 की आधारशिला है। ऐतिहासिक अनुभव, साहित्य समीक्षा और समकालीन विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ और कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, जिनका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा और अवसंरचना विकास है। तथापि, नीति-निर्माण और जमीनी क्रियान्वयन के मध्य अंतर, संस्थागत कमजोरी, लाभार्थी चयन में त्रुटि तथा समन्वय के अभाव जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं।

जिला प्रशासन इस समूची प्रक्रिया का केंद्रीय क्रियान्वयन तंत्र है। यही वह स्तर है जहाँ नीतियाँ वास्तविक रूप लेती हैं और उनका प्रभाव ग्रामीण परिवारों के जीवन पर पड़ता है। यदि जिला प्रशासन को पर्याप्त स्वायत्तता, संसाधन, तकनीकी समर्थन और पारदर्शी निगरानी तंत्र प्राप्त हो, तो ग्रामीण विकास योजनाएँ अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बन सकती हैं।

इस प्रकार यह निष्कर्ष स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया जा सकता है कि —

"विकसित भारत 2047 की सफलता का आधार सशक्त जिला प्रशासन है, जो ग्रामीण भारत में नीतियों को प्रभावी रूप से लागू कर सके।"

अतः विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ते हुए आवश्यक है कि जिला प्रशासन को सुशासन, विकेंद्रीकरण और सहभागी विकास के सिद्धांतों के अनुरूप सुदृढ़ किया जाए, ताकि ग्रामीण भारत समावेशी, टिकाऊ और आत्मनिर्भर विकास की ओर अग्रसर हो सके।

संदर्भ सूची

1. बनोथ विजयलक्ष्मी। रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया: ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटेजीज, चैलेंजेज एंड द पाथ टू सस्टेनेबल ग्रोथ। TIJER – इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल। 2024;11(10)। उपलब्ध: www.tijer.org
2. ढाल एस, सिंह एन। ई-गवर्नेंस इन इंडिया: हेराल्डिंग ए न्यू एरा ऑफ इन्क्लूसिव गवर्नेंस। स्प्रिंगर; 2025।
3. घानी ईशा। द मैक्रोइकोनॉमिक इंस्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च; 2025।
4. गनई एनए, सैकिया टी, मीर टीए, जान आई। डायनैमिक्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस इन इंडिया। स्प्रिंगर; 2025।

© 2026 चन्द्र प्रकाश गौतम. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

5. कनुजिया पीके, साहनी एच, यादव एसएस, जायसवाल ए। पाथवेज़ टू इन्क्लूसिव ग्रोथ: ए स्ट्रेटेजिक असेसमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स स्टडीज़। 2025।
6. कुरैशी एमए। एसडब्ल्यूओसी एनालिसिस ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑन द पाथ टू विकसित भारत 2047। 2025।
7. कुज़नेट्स एस। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम इनइक्वालिटी। अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू। 1955; मार्च।
8. दांडेकर वीएम, राठ एन। पॉवर्टी इन इंडिया। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। 1971; जनवरी।
9. नवीनकुमार आर, संतोषा सी। ट्रांसफॉर्मिंग द बैकबोन: ए कंटेम्पररी एनालिसिस ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। 2025।
10. नीति आयोग। सेक्टोरल इनसाइट्स: एग्रीकल्चर – सीनारियोस टुवर्ड्स विकसित भारत एंड नेट ज़ीरो। भारत सरकार; 2026।
11. ओझा पीडी। ए कॉन्फिगरेशन ऑफ इंडियन पॉवर्टी। RBI बुलेटिन। 1970; जनवरी।
12. पासवान अमरनाथ, अहमद एमडी रेयाज। वैश्वीकरण के युग में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन: मिनोब्रुक परिप्रेक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन। 2020।
13. पटेल राजीव, जैन एल। द कोऑपरेटिव कैटेलिस्ट: ड्राइविंग रूरल डेवलपमेंट टुवर्ड्स डेवलप्ड इंडिया 2047 – ए कॉम्प्रिहेन्सिव एनालिसिस। 2025।
14. पॉल एल, रेना आर। विकसित भारत 2047: ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस फॉर सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन एंड इन्क्लूसिव डेवलपमेंट। रिसर्चर्स वर्ल्ड। 2024।
15. प्रिया पी, राज एन। रीइमैजिनिंग इंडियाज़ स्किल इकोसिस्टम फॉर विकसित भारत 2047: पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्क्लूसिव ग्रोथ। 2025।
16. रा जे, पांड्या के, पांडा आर। फ्रॉम ग्रासरूट्स टू ग्रोथ: डिमिस्टिफाइंग रूरल डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत। सागर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च। 2025।
17. राउत ओ, वर्मा एस, स्नेहा एसबी। ग्रोथ विद रेज़िलिएंस फॉर विकसित भारत 2047: कन्वर्सेशन्स अराउंड वाटर, एनर्जी एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी। CGIAR; 2025।
18. रंजन एस, कुमार अ, कुमार अ, देशमुख जीके। विकसित भारत@2047: द रीडिफाइन्ड एजेंडा। 2025।
19. लिप्टन एम। पॉवर्टी कॉन्सेप्ट्स, थ्रेशोल्ड्स एंड इक्विटी कॉन्सेप्ट्स। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट; 1988।
20. विजया सी। कोऑपरेटिव्स इन इंडिया: ए कॉम्प्रिहेन्सिव एनालिसिस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। SSRN; 2025।
21. श्रीवास्तव उमा कांत। भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रम: जिला स्तर पर एक विश्लेषणात्मक समीक्षा। भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद; कार्यपत्र; 1970 का दशक।
22. सरकार यू, रॉय एके, दास एस। चार्टिंग द कोर्स: ओवरकमिंग हर्डल्स इन द जर्नी टुवर्ड्स डेवलप्ड इंडिया। जर्नल ऑफ एकेडमिक एडवांसमेंट। 2024।
23. मिन्हास बीएस। रूरल पॉवर्टी, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू। 1970।
24. हरिस जे। इनकम इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी: मेथड्स ऑफ एस्टीमेशन एंड पॉलिसी एप्लीकेशन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 1980।

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

About the corresponding author

चन्द्र प्रकाश गौतम राजनीति विज्ञान विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) के शोधार्थी हैं। इनके शोध क्षेत्र में भारतीय राजनीति, सार्वजनिक नीति, शासन प्रणाली तथा सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन शामिल हैं। ये अकादमिक लेखन, शोध कार्य एवं समसामयिक विषयों के विश्लेषण में सक्रिय रूप से संलग्न हैं।

© 2026 चन्द्र प्रकाश गौतम. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/